Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 27 अंक- 317 रायपुर, बुधवार 11 दिसम्बर 2024 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

नक्सलियों ने भाजपा कार्यकर्ता को उतारा मौत के घाट

बीजापुर, 11 दिसंबर (हाईवे चैनल)। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले नक्सली बीजापुर में तांडव मचा रहे हैं. आज फिर नक्सलियों ने एक भाजपा कार्यकर्ता को मौत के उतारा है. यह मामला फरसेगढ़ थाना क्षेत्र का है. इसकी पुष्टि एसपी जितेंद्र यादव ने की है.

बता दें कि बीते दिनों नक्सलियों ने भैरमगढ़ के बिरयाभूमि में भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष की हत्या की थी. अब कुटरू तहसील के ग्राम सोमनपल्ली निवासी भाजपा कार्यकर्ता माड़ो राम कुड़ियम को मौत के घाट उतारा गया है.

सड़क पर फेंका शव

इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा कि भाजपा कार्यकर्ता माड़ो राम कुड़ियम की नक्सलियों ने देर रात घर से अपहरण किया था और गला घोंटकर उसकी हत्या की है. इसके बाद सोमनपल्ली मार्ग पर शव फेंका गया है. शव के पास से पर्चा बरामद हुआ है. पर्चा में मुखबिरी का आरोप लगाया गया है.

खड़ी ट्रक में जा भिड़े दो बाइक सवार युवक, मौके पर हुई मौत

रायपुर/धरसीवां, 11 दिसंबर (हाईवे चैनल)। रायपुर के धरसींवा थाना क्षेत्रमें अभी-अभी एक दर्दनाक हादसा हो गया. रायपुर-बिलासपुर हाइवे की सांकरा से सिमगा सिक्स लाइन पर खड़ी ट्रक के पीछे एक बाइक जा घुसी. इस घटना में बाइक पर सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने की तैयारी में जुटी हुई है. वहीं घटना के एक प्रत्यक्ष दर्शी ने एनएचएआई को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है.

प्रत्यक्ष दर्शी धर्मेंद्र वर्मा के मुताबिक, सिमगा से रायपुर की ओर जाने वाले सिक्स लाइन की थ्री लाइन सड़क पर कल से यह ट्रक खड़ी हुई थी. लेकिन एनएचएआई ने उसे हटवाने की जहमत नहीं उठाई. अगर NHAI इस ओर ध्यान देता, सिक्स लाइन पर ट्रक खड़ी न होती, तो आज बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत न होती. इधर आए दिन सड़क हादसों में किसी न किसी की जान जाने की घटनाओं के बाबजूद सांकरा सिलतरा होते हुए निकली सिक्स लाइन पर भी टाटीबंध की ओर जाने वाले फोर लेन ब्रिज पर और ब्रिज के अगल-बगल बड़ी संख्या में ट्रक हाइवा पार्किंग बनाकर खड़े रहते हैं. शाम के बाद स्थिति यह हो जाती है कि आने जाने वाले वाहनों को निकलने में भी दिक्कत होती है.

विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को दिया गुलाब और तिरंगा

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर (न्यूज चैनल)। बुधवार को संसद के बाहर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का यह एक और दिन देखने को मिला। हालांकि, इस बार कांग्रेस सांसदों ने एनडीए सांसदों को मास्क, टी-शर्ट और बैग के बाद गुलाब के फूल और राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) भी बांटा। ऐसे ही एक आदान-प्रदान में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुलाब सौंपते देखा गया। हालांकि, राजनाथ सीधे संसद के अंदर जाते हुए देखे गए। राहुल को उनतक जाना पड़ा। जब फूल बांटे जा रहे थे, तो विपक्षी सांसदों ने तख्तियां भी ले रखी थीं, जिन पर लिखा था-देश को मत बेचने दो।

कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि हमने राष्ट्रीय ध्वज बांटा है और उनसे अनुरोध किया है कि देश को बेचें नहीं बल्कि इसे आगे बढ़ाएं। दुर्भाग्य से हम देख रहे हैं कि आजकल देश को अडानी चला रहे हैं। सबकुछ उन्हें सौंपा जा रहा है और गरीबों की आवाज दबायी जा रही है। हम देश को बेचने की इस साजिश के खिलाफ हैं। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि हम बीजेपी के दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। हम उन्हें भारतीय ध्वज और गुलाब वाला एक कार्ड देना चाहते थे। हम यह संदेश देना चाहते थे कि राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण है।

ब्रेकिंग न्यूज

मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, जमानत की शर्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर (न्यूज चैनल)। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसौदिया को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उन पर लगाई गई जमानत की शर्त को हटा दिया, जिसके तहत उन्हें सप्ताह में दो बार ईडी और सीबीआई के जांच अधिकारियों के सामने पेश होने की जरूरत थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि सिसोदिया नियमित रूप से मुकदमे में शामिल होंगे। इसमें कहा गया कि हमें उक्त शर्त जरूरी नहीं लगती। सिसौदिया द्वारा दायर जमानत की शर्त इस प्रकार है द्व्द्ध अपीलकर्ता को प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को सुबह 10-11 बजे के बीच जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। संक्षेप में, 9 अगस्त को, अदालत ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसौदिया को जमानत दे दी थी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी %घोटाले% से बाहर, सुनवाई शुरू होने में देरी और प्री-ट्रायल हिरासत की लंबी अवधि को जमानत की शर्तों के रूप में देखते हुए, अदालत ने सिसोदिया को दो जमानतदारों के साथ 10 लाख रुपये की राशि के जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए कहा इतनी ही राशि और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए, उसे हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10-11 बजे के बीच जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा।

घर में घुसा भालू, रातभर सहमा रहा परिवार

कांकेर, 11 दिसंबर (हाईवे चैनल)। शहर के रिहायसी इलाको में भालुओं की आमद लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है. भोजन- पानी की तलाश में भालू अब घरों में घुस रहे हैं. एकता नगर के एक घर में भालू ने रातभर डेरा डाल रखा था. इसके चलते रातभर पूरा परिवार सहमा रहा. रात करीब 11=30 बजे घर में घुसकर भालू ने घर के आंगन सहित गली के दरवाजों में घूमते हुए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा. भालू की मौजूदगी से परिवार पूरी रात सहमा रहा. दहशत व डर के साये में परिवार को रातभर जागरण करना पड़ा. रात्रि 11=30 से घर में घुसा भालू सुबह तकरीबन 6=45 बजे भाग निकला. तब जाकर कही परिवार ने राहत की सांस ली. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा

चूहा- सुनती हो, संसद परिसर में विपक्ष ने मोदी-अडानी का मुखौटा पहनकर प्रदर्शन किया।

चुहिया- हां जी, अच्छा है जीना है तो मोदी-अडानी जैसा शान से जियो..!

लोकसभा में हंगामा जारी, स्पीकर ओम बिरला से मिले राहुल गांधी

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर (न्यूज चैनल)। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि मैंने स्पीकर के साथ बैठक की। मैंने उनसे कहा कि मेरे खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां हटा दी जानी चाहिए। स्पीकर ने कहा कि वह इस पर गौर करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य है कि सदन चले और सदन में चर्चा हो। वे मेरे बारे में कुछ भी कहें, हम चाहते हैं कि 13 दिसंबर को बहस हो। वे अडानी पर चर्चा नहीं चाहते।% अंतत= हम इसे नहीं छोड़ेंगे। वे हम पर आरोप लगाते रहेंगे लेकिन सदन चलना चाहिए।

बोले- हम चाहते है सदन चले और चर्चा हो

कांग्रेस ने बुधवार को लोकसभा में सरकार पर मणिपुर के हालात को छिपाने के लिए अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को ढाल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में सरकार ने कांग्रेस पर सोरोस के साथ मिलीभगत करके देश को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए उसे देश की आंतरिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप और शोर-शराबे के कारण निचले सदन की कार्यवाही डेढ़ घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी।

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की ओर से राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के प्रस्ताव संबंधी नोटिस दिए जाने के अगले दिन, बुधवार को सत्ता पक्ष ने जगदीप धनखड़ का जोरदार बचाव किया तथा दावा किया कि जार्ज सोरोस और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के कथित संबंधों के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी दलों ने आसन पर आक्षेप लगाया है। इन्हीं मुद्दों पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ और एक बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में हंगामे के बीच सदन के नेता जे पी नड्डा ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य पिछले दो दिनों से जार्ज सोरोस और कांग्रेस के वरिष्ठतम सदस्य के संबंधों का मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे हैं और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के उद्देश्य से विपक्ष की ओर से आसन पर आक्षेप लगाने का 'कुत्सित' प्रयास किया गया है।

राज्यसभा में हंगामे के बीच भाजपा का सवाल

संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन भी राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला। सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के प्रस्ताव संबंधी नोटिस पर राज्यसभा में हंगामे के कारण बुधवार को उच्च सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इन सबके बीच नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष पर सोरोस मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने कहा कि जिस तरह का आरोप कांग्रेस पार्टी ने चेयर पर लगाया है, वह भर्त्सना योग्य है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे सदस्य (सांसद) सोनिया गांधी और सोरोस के बीच संबंध का मुद्दा उठाते रहे हैं। यह देश की संप्रभुता का सवाल है। उन्होंने कहा कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना देश की संप्रभुता के मुद्दे से देश का ध्यान भटकाने की साजिश है। इसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कभी भी अध्यक्ष का सम्मान नहीं किया। राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सोरोस और कांग्रेस के बीच क्या संबंध है? इसका खुलासा होना चाहिए। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि संवैधानिक प्रश्न तो उठेगा क्योंकि वह सिर्फ राज्यसभा के सभापति ही नहीं बल्कि देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। वह अपने पद की वजह से राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। हम देखेंगे कि विपक्ष द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का क्या होता है। उन्होंने आगे कहा कि उनका एकमात्र इरादा संसद का समय बर्बाद करना है। वे नहीं चाहते कि कुछ भी रचनात्मक हो, इसलिए वे अलग-अलग मुद्दे उठा रहे हैं।

स्कूल में छात्राओं से दुर्व्यवहार, कलेक्टर के निर्देश पर जांच टीम गठित, तीन दिन के भीतर देनी होगी रिपोर्ट

गरियाबंद, 11 दिसंबर (हाईवे चैनल)। हायर सेकेंडरी स्कूल मैनपुर के छात्र-छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रभारी प्राचार्य एवं कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्रताड़ित करने की शिकायत की थी. एक शिक्षक पर आरोप लगाया था कि वह लंबे समय से दुर्व्यवहार कर रहा है. छात्रों ने पूर्व प्राचार्य को संस्था में वापस लाने की मांग भी की थी. इस मामले पर कलेक्टर के निर्देश पर डीईओ ने पांच सदस्यीय जांच टीम बनाई है और तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया है.

जिला शिक्षा अधिकारी एके सारस्वत ने बताया कि छात्रों की मांग व शिक्षकों पर गंभीर आरोप को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देश पर तत्काल पांच सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है. 3 दिनों में जांच रिपोर्ट देने का आदेश जारी कर दिया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जांच दल में 2 महिला सदस्यों को भी शामिल किया है, ताकि छात्राओं के आरोपों की संवेदनशीलता से जांच की जा सके. डीईओ ने बताया, जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन दवारा ऐसे मामलो में पहले भी त्वरित व कठोर निर्णय लिया जाता रहा है. छात्र-छात्राओं के हित से जुड़ी इस घटना को तत्काल संज्ञान में लेकर जांच दल को गहनता से जांच व तत्काल रिपोर्ट देने निर्देश जारी कर दिया गया है. तत्काल छात्र-छात्राओं के हित मे निर्णय लिए जाएंगे.

पत्नी की प्रताड़ना, दो साल में 120 तारीख और घूसखोरी से तंग आईटी पेशेवर ने लगाया मौत को गले

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर (न्यूज चैनल)। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या के मामले में मंगलवार को उसकी पत्नी और उसके परिजनों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि बंगलूरू की एक निजी कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने शादी के बाद जारी तनाव, उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों, उसकी पत्नी, रिश्तेदार और उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश की ओर से प्रताड़ित किए जाने का जिक्र किया है।

पत्नी व उसके परिवार की प्रताड़ना और दो वर्ष में कोर्ट की 120 तारीखें इसके बावजूद न्याय न मिलने के कारण 34 वर्षीय आईटी पेशेवर अतुल सुभाष ने मौत को चुना। आत्महत्या को अंतिम विकल्प मानते हुए अतुल ने दुनिया से जाने से पहले करीब डेढ़ घंटे का वीडियो व 24 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें शादीशुदा जिंदगी के सामाजिक तानेबाने की खामियां, साथी के लालच और षड्यंत्र की दास्तां, कानूनी महकमे में भ्रष्टाचार को उजागर किया। उन्होंने अपने पीछे छूटे माता-पिता व चार साल के बेटे की सलामती की दुआ भी की। सुसाइड नोट और वीडियो संदेश कुछ मित्रों व वैवाहिक मामलों से त्रस्त पुरुषों की मदद करने वाली एक एनजीओ से साझा करते हुए अतुल ने खुदकुशी कर ली। मामले में मराठाहल्ली पुलिस ने अतुल के भाई विकास कुमार की शिकायत पर अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत चार लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की है। निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

बंगलूरू पुलिस को अतुल की आत्महत्या की खबर एनजीओ से मिली। सूचना पर मंजूनाथ लेआउट स्थित फ्लैट पर पहुंची पुलिस को उनका शव पंखे से लटकते मिला, जिनके सीने पर गोंद से चस्पा पन्नों में लिखा था न्याय अभी बाकी है। पुलिस को घर से 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट मिला, जिनमें चार पन्ने हाथ से और 20 कंप्यूटर से प्रिंट किए गए थे। अतुल ने इन 24 पन्नों में अपने भावनात्मक संकट, पत्नी की प्रताड़ना और न्यायपालिका से मिली निराशा बयां की। सुसाइड नोट के मुताबिक, बिहार के समस्तीपुर के मूल निवासी अतुल सुभाष बंगलूरू में एक निजी कंपनी में शीर्ष पद पर कार्यरत थे। 2019 में जौनपुर की निकिता सिंघानिया से शादी हुई और एक साल बाद ही बेटा हो गया। सुसाइड नोट के मुताबिक, पत्नी निकिता एक आईटी कंपनी में नौकरी करती है। 2021 में पत्नी बेटे को लेकर मायके जौनपुर आ गई और अतुल व उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न, हत्या की कोशिश, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने समेत 9 अलग-अलग मामले दर्ज करा दिए। 40 हजार रुपये महीना के गुजारा भत्ता के अलावा दो-चार लाख रुपये की और मांग की। कर्नाटक पुलिस ने अतुल के भाई की शिकायत पर उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, चचेरा ससुर सुशील सिंघानिया के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा कि उनके खिलाफ नौ मामलों में छह के मुकदमे ट्रायल कोर्ट और तीन हाईकोर्ट में थे। दो साल में कोर्ट की 120 तारीखें लगीं, जिससे पूरी तरह टूट गया। जौनपुर अदालत की जज और उनके स्टाफ ने मामला निपटाने के लिए पांच लाख रुपये की रिश्वत भी मांगी। अतुल ने लिखा, इस सिस्टम ने मुझे न्याय नहीं दिया, मेरा फैसला बाकी है।

सुसाइड नोट में जौनपुर की परिवार अदालत की एक सुनवाई का जिक्र करते हुए अतुल ने कहा कि उन्होंने जज के समक्ष जब बताया कि उनकी पत्नी ने झूठे मामले दर्ज किए हैं, तो जज ने कहा, तो क्या हुआ? वह आपकी पत्नी है और यह आम बात है। अतुल ने कहा कि झूठे मामलों के कारण कई लोग मर जाते हैं, तो निकिता ने कहा कि आप भी ऐसा क्यों नहीं करते? इस पर जज ने जोर से ठहाका लगाया। अतुल ने लिखा, पत्नी ने ही मुझे सही रास्ता दिखाया। मर जाना ही इन सब का अंत है। अतुल ने बताया कि उनकी पत्नी ने शुरू में 1 करोड़ रुपये की मांग की, बाद में मांग बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दी। अतुल ने लिखा, मेरी पत्नी और उसके परिवार वाले मुझे मेरे बेटे से नहीं मिलने देते। ये लोग मुझसे सिर्फ पैसे मांग रहे हैं। अब तक लाखों दे चुका हूं। मैं जितनी अधिक मेहनत करूंगा और अपने काम में बेहतर होता जाऊंगा, उतना ही मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया जाएगा। जबरन वसूली की जाएगी और पूरी कानूनी व्यवस्था मुझे परेशान करने वालों के साथ है। मेरे पैसे से मेरे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं। मैं अपने वेतन पर जो टैक्स देता हूं, उससे पुलिस, कानूनी व्यवस्था मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने में मदद कर रही है। अब मेरे जाने के बाद, कोई पैसा नहीं होगा और मेरे बूढ़े माता-पिता और मेरे भाई को परेशान करने का कोई कारण नहीं होगा। मैंने भले ही अपने शरीर को नष्ट कर दिया हो, लेकिन इसने वह सब कुछ बचा लिया है, जिस पर मैं विश्वास करता हूं।

अतुल ने सुसाइड नोट में कुछ अंतिम इच्छाएं भी लिखीं। उन्होंने साफ किया कि मरने के बाद पत्नी और उसके परिवार वालों को शव के पास भी नहीं आने दिया जाए। बेटे की कस्टडी उनके माता-पिता को दी जाए, क्योंकि पत्नी उसे अच्छे संस्कार देकर नहीं पाल सकती। अतुल ने लिखा कि उनकी अस्थियों का विसर्जन तब तक न किया जाए जब तक पत्नी और उसके परिजनों को सजा नहीं हो जाती। अगर उन्हें सजा न हो तो उनकी अस्थियों को अदालत के बाहर गटर में ही बहा दिया जाए। अतुल ने यूपी के मुकाबले कर्नाटक की अदालतों पर अधिक भरोसा जताया और आगे पत्नी के खिलाफ बंगलूरू की अदालत में मुकदमा चलाने की मांग की।